उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2011–12

सुमिया देवी .....अपीलकर्त्ता

बनाम

16/– रैयत मौजा ढेली पाथर .....उत्तरकारी

।। आदेश ।।

03/05/2016

यह रे0मि0 अपील वाद सं0 01/2011–12 सुमिया देवी, पति स्व0 आनमनी लायक बनाम् 16/– रैयत, मौजा ढेलीपाथर, अंचल रामगढ़ के बीच अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के एस0आर0 वाद सं0 54/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 21.01.2011 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैने अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलकर्त्ता द्वारा निम्न न्यायालय में उनके पति के नाम से प्रधान द्वारा पट्टा बन्दोबस्ती जमींन को सीमांकन हेतु आवेदन दाखिल किया गया था। इस पर अंचल अधिकारी, रामगढ़ द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया एवं 16/– रैयतों को भी नोटिस का तामिला करवाया गया है। अंचल अधिकारी द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि ग्राम प्रधान द्वारा मौजा के दाग सं0 7 में रकवा 02–10–00 धूर जमींन में बन्दोबस्ती पट्टा दिया गया है। अपीलकर्त्ता का उक्त जमींन पर शांतिपूर्वक दखल–कब्जा है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रधानी बन्दोबस्ती पट्टा को सम्पुष्ट करने का अनुशंसा किया गया है। 16/– रैयतों की ओर से किसी प्रकार का आपत्ति दाखिल नहीं किया गया है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके आवेदन को यह कहकर खरीज किया गया है कि पट्टा वर्ष 1965 का है फिर 45 वर्ष बाद इसकी स्वीकृति देना कोई औचित्य नहीं रह जाता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रधान द्वारा किया गया बन्दोबस्ती जमींन पर अपीलकर्त्ता का दखल कब्जा है। 16/– रैयतों की ओर से भी किसी प्रकार का आपत्ति नहीं है। निम्न न्यायालय द्वारा इस पर विचार किये बिना ही मात्र पट्टा वर्ष 1965 का होने के आधार पर उनके आवेदन को खारीज किया गया जो न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः निम्न न्यायालय के आदेश को विलोपित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया जाता है कि अपीलकर्त्ता के साथ की गई बन्दोबस्ती जमींन का सीमांकन आवेदन पर पुनर्विचार कर आदेश पारित किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित ।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।

Rahul

उपायुक्त,
दुमका।